झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 54 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
23/12/2023.

अपीलकर्त्ता श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्रा०-तुतटोली, पं०-तिरला, प्र०-खूँटी, जि०-खूँटी।

बनाम

प्रतिवादी DSO, खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, खूँटी।** **वाद सं0–54 / 2023** आज दिनांक–04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पंचायत–तिरला थाना+जिला–खूँटी का कहना है कि उन्हें राशन डीलर की सचिव, श्रीमती सोरदरा देवी द्वारा राशन काट कर दिया जाता है। विरोध करने पर डीलर गाली–गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाती है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि उक्त डीलर के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत् सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक–31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court note.docx60	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–54 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पंचायत–तिरला, प्रखण्ड+जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण सुनवाई में न तो सशरीर उपस्थित हो पाये, न ही ऑनलाइन शामिल हो पाये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देशित करता है कि वे आयोग के दिनांक–04.10.2023 के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत करें। आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग शिकायतकर्ता से भी आग्रह करता है कि यदि संभव हो, तो वे भी व्यक्तिगत रूप से आयोग की सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग के वाट्सएप्प नंबर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx118	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–54 / 2023

17.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पंचायत–तिरला, प्रखण्ड+जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता का फोन नहीं लग पा रहा है। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को एक सी0डी0 उपलब्ध कराई है, जिसमें ग्राम सभा संपन्न होने और लाभुकों का बयान दर्ज होने का प्रमाण उपलब्ध है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक–1226 दिनांक–31.10.2023 के माध्यम से आयोग को एक प्रतिवेदन भी भेजा है, जिसकी कंडिका–4 में इस बात का उल्लेख है कि कई लाभुकों ने यह माना कि सितंबर माह का राशन उन्हें कम दिया गया और नियमित रसीद नहीं देने की भी बात कही है।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि सितंबर माह का राशन कम दिये जाने की जाँच करें और जितने लाभुकों को सितंबर माह का अनाज कम दिया गया है, उन्हें बकाया अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.11.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–29.11.2023 को रखें।

(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	**(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx127

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29-11-2023	**वाद सं0–54 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पं0–तिरला, प्र0+जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने 17.11.2023 को हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निदेश दिया था कि सितम्बर माह का राशन कम दिये जाने की मामले की जांच करें और जिन लाभुकों को सितम्बर माह का राशन नहीं दिया गया है या कम दिया गया उन्हें बकाया अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज के सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला की उस पंचायत में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि CD में जिन व्यक्तियों ने अनाज उपलब्ध नहीं कराने की बात कही है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाये। न्याय के हित में आयोग शिकायतकर्ता का नंबर नहीं होने के कारण डाक के माध्यम से पुनः आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ता से आग्रह करता है कि वो यदि चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए इस वाद को निष्पादित करने को बाध्य होगा। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भेज दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx49		

आदेश की ति	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.12.2023	**वाद सं0–54 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पंचायत–तिरला, जिला–खूँटी, अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, खूँटी आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। आयोग ने इस वाद में पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि शिकायतकर्त्ता को डाक के माध्यम से आदेश कि प्रति भेज दी जाय, ताकि शिकायतकर्त्ता अपना पक्ष रख पाये क्योकि दूरभाष पर शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। आयोग से शिकायतकर्त्ता को डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया है। लेकिन डाक वापस नहीं आया है ऐसे में आयोग ये मान रहा है कि उस नाम का व्यक्ति संबंधित पते पर है। अतः डाक वापस नहीं आया है। न्याय के हित में आयोग अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का एक और अवसर दे रहा है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx15	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0—54 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम—तुतटोली, पं0—तिरला, प्र0—खूँटी, जिला—खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमती कंचन सिंह, एकाउन्टेंट आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में बिगु भगत की जगह कोई अन्य महिला मालती देवी उपस्थित हैं। उनका इस वाद से कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी एक अलग शिकायत है। आयोग उन्हें निदेश देता है कि वो अपनी शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित श्रीमती कंचन सिंह, एकाउन्टेंट को उपलब्ध करा दें और उनकी शिकायत पर यथोचित कार्रवाई करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है। चूकि इस वाद में शिकायतकर्ता का कोई पक्ष लगातार नहीं आ रहा है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx54